FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **घीसालाल बनाम मुनीसुब्रतनाथ दिगंबर जैन** **दीवानी मूल वाद संख्या – 54/2021(29/2010)** **सीआईएस संख्या – 516/2014**	Brief note of Compliance of Order
05.08.2025	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 3 सीपीसी दिनांकित 01.07.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किए कि प्रकरण में वादी की ओर से प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में जो दस्तावेज पेश किए गए है वे रजिस्टर्ड नहीं है ना ही विवादित संपति से सुसंगत है। अतः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने से उन्हें साक्ष्य में प्रदर्शित करवाने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। यह भी कथन किया कि वादी दिनांक 15.10.1923 व 24.07.1924 दस्तावेजात को पट्टा विलेख होना बताते हुए प्रदर्शित करवाना चाह रहे है, उक्त दोनो दस्तावेज रजिस्टर्ड दस्तावेज नही है तथा उक्त दोनो दस्तावेजात पर पट्टाकर्ता व पट्टेदार के हस्ताक्षर भी नही है जो विधिवत पटटे की श्रेणी में नहीं आने से साक्ष्य में ग्राहय ना होने से प्रदर्शित नही करवाये जा सकते है। यह भी कथन किया कि वादी ने तथाकथित कब्जा नम्बर 49, 83, 119, 135, 170, 179, 170, 196, 200, 225, 233, 270, 291, 351, 373, 396, 399, 437, 430, 552 व 694 है। उक्त सभी कब्जे किस स्थान व सम्पत्ति से सम्बन्धित है, ऐसा अंकन नही है तथा उक्त सभी दस्तावेज विवादित सम्पत्ति से सम्बन्धित न होने से एवं पर्याप्त स्टाम्पित न होने से, विधिक रूप से साक्ष्य में ग्राहय न होने से प्रदर्शित नहीं करवाया जा सकते है। यह भी कथन किया कि फौजदारी रिवीजन, फौजदारी निगरानी तथा एफ.आर एवं फौजदारी निगरानी व आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष फौजदारी रिवीजन व फौजदारी कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेज है जो सिविल कार्यवाही से सुसंगत न होने से साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया जा सकते है। जवाबदावा दिनांक 28.03.2007 तथा शपथ पत्र दिनांक 28 03.2007 एवं सिविल न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.05.1998 विवादित सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेज नही है जो सुसंगत दस्तावेज नहीं है। इसलिए साक्ष्य में विधिक रूप से प्रदर्शित नही करवाये जा सकते है। उक्त वर्णित दस्तावेजात उक्त वर्णितानुसार साक्ष्य में विधिक रूप से ग्राहय ना होने से प्रदर्शित नहीं करवाए जा सकते। अतः उक्त दस्तावेज विधिक रूप से ग्राह्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेजों को साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने कथन किए कि वादीगण के पूर्वज किस्तूरमल झांझरी को जो सम्पत्ति किशनगढ़ राज्य के तत्कालीन महाराजा मदनसिंह के आदेश से दी गयी है, वह प्रकरण से सुसंगत है तथा विधिक रूप से साक्ष्य में ग्राह्य	

	है। पट्टा दिनांक 15.10.1923 को तत्कालीन किशनगढ़ राज्य के महाराजा मदन सिंह के आदेश से वादग्रस्त भूमि को 95/– रूपये 15 आना कलदार में किस्तूरमल झांझरी को विक्रय कर उसका तत्कालीन विधि के अनुसार पट्टा बही किशनगढ़ बही नम्बर 33 पाना नम्बर 23 पर इन्द्राज कर पट्टा जारी किया गया है। जो दस्तावेज धारा 90 साक्ष्य अधिनियम की परिधि में आता है। न्यायालय ने उक्त दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज मानकर रिकॉर्ड पर लिया है, उसके विरूद्ध कोई रिट याचिका पेश नहीं की। इसके अतिरिक्त विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1924 को वादीगण के पूर्वज किस्तूर मल झांझरी ने कुल 41/–रूपये में क्रय की थी जिसे किशनगढ़ राज्य के तत्कालीन महाराजा मदन सिंह के आदेश से सील–मोहर लगाकर पंजीकृत किया गया था जो दस्तावेज धारा 90 साक्ष्य अधिनियम की परिधी में आता है। उक्त दस्तावेज पर धारा 107 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधान आकर्षित नही होते है। वरन धारा 62 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान आकर्षित होते है। न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान करने के बाद प्रतिवादीगण को प्रदर्श लगाये जाने में आपत्ति करने का अधिकार नही है। रसीदो का स्टापित होना आवश्यक नही है। अन्य फौजदारी एवं सिविल कार्यवाहियों के दस्तावेज हस्तगत प्रकरण से ही संबंधित है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज प्रकरण से संबंधित होने से साक्ष्य में ग्राह्य है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पट्टा दिनांक 15.10.1923 व 24.07.1924 को रजिस्टर्ड नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होना बताया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत रसीदे पर्याप्त रूप से स्टांपित नहीं होने, फौजदारी एवं सिविल न्यायालय की कार्यवाहियों का विवरण भी प्रकरण से सुसंगत नहीं होने, फौजदारी कार्यवाही सिविल कार्यवाहियों में सुसंगत नहीं होने से साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करने का निवेदन किया। इस संबंध में दस्तावेजों का अवलोकन किया जाए तो वादी द्वारा हस्तगत वाद विवादित संपति में स्वामित्व की घोषणा, कब्जा प्राप्ति, स्थायी निषेधाज्ञा तथा विक्रय पत्र के निरस्तीकरण के संबंध में पेश किया गया है। वादी ने अपने वादपत्र में विवादित भूमि के संबंध में पट्टे की प्रमाणित प्रति बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त करना अपने वाद पत्र में उल्लेखित किया है। वादी की ओर से जो दस्तावेज पट्टा दिनांक 15.10.1923 व दिनांक 24.07.1924 पेश किए गए है वे शासकीय पट्टे होना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है। उक्त दस्तावेज पट्टा दिनांक 15.10.1923 में तत्कालीन महाराज द्वारा वर्णित संपत्ति को 95 रूपये 15 आना राजकोष में जमा करवाने पर किस्तूरमल झांझरी को दिए जाने का अंकन है। इसी प्रकार पट्टा दिनांक 24.07.1924 में अंकित भूमि किस्तूरमल झांझरी को तत्कालीन महाराजा द्वारा कुल 41 रूपये राजकोष में जमा करवाने पर दिये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त दोनो दस्तावेजो के द्वारा संपत्ति में अधिकार सृष्ट किया गया है। उस संपत्ति का मूल्य अंकित नहीं है केवल शुल्क का उल्लेख है तथा उक्त दोनो पट्टे रियासतकालीन शासकी पट्टे होना प्रथमदृष्टया प्रकट होते है। वादी के द्वारा जो दस्तावेज शासकीय पट्टा वर्ष 1923 व 1924 के पेश किए गए है उनमें संपत्ति का क्रमशः 95 रूपये 15 आना व 41 रूपये राजकोष में जमा किए जाने पर दिये जाने का अंकन है। प्रतिवादी ने उक्त दस्तावेज/पट्टो का	

	रजिस्ट्रेशन धारा 107 टीपी एक्ट के तहत किया जाना आवश्यक होना माना है। इस संबंध में धार 17(I)(VII) रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में सरकार द्वारा अचल संपत्ति के अनुदान का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होने का प्रावधान है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज तत्कालीन शासन द्वारा जारी शासकीय पट्टा होना प्रथमदृष्टया प्रकट होने से विधिक प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हो यह प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होता है तथा बिना रजिस्ट्रेशन के साक्ष्य में ग्राह्य होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण द्वारा की गई आपत्ति उक्त विवेचनानुसार माने जाने योग्य नहीं है। जहाँ तक प्रतिवादीगण का यह तर्क कि वादी के द्वारा जो रसीदे पेश की गई है वे पर्याप्त रूप से स्टांपित नहीं है, इस संबंध में अवलोकन किया जाए तो रसीदे वर्ष 1923 की है। तत्समय उक्त रसीदों का स्टांपित होना आवश्यक हो या कितने रूपये के स्टाम्प पर स्टांपित करना आवश्यक था इस संबंध में प्रार्थना पत्र में इसका अंकन नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त आपत्ति भी माने जाने योग्य नहीं है। वादी के द्वारा जो फौजदारी, सिविल प्रकरणों की कार्यवाहियों के आदेश, निर्णय, शपथ पत्र पेश किए गए, उक्त दस्तावेज भी विवादित विषय–वस्तु से संबंधित है, दस्तावेज प्रमाणित प्रति है। इसके अतिरिक्त उक्त दस्तावेज यदि वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रदर्शित करवाए जाते है तो प्रतिवादीगण को उन पर जिरह का पर्याप्त अवसर रहेगा। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा जो आपत्तियां की गई है वे उक्त विवेचनानुसार माने जाने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 12.08.2025 को पेश हो। **(शालिनी शर्मा)** **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश** **संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**	